



पत्रांक / उपाकालि / अधि० अभि०, विद्युत परियोजना खंड (दे०) / EPD- Chakrata

दिनांक

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,
कालसी, देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड चकराता में (ढकरानी से चकराता तक) 33 के०वी० लाईन के निर्माण हेतु 7.20 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पारेषण लाईन निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून : पत्रांक-8बी/यू०सी०पी०/04/06/2019/एफ०सी०/876 दि० 24.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-

- 1- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 7.20 है० सिविल भूमि के बदले 14.40 है० आरक्षित वन क्षेत्र कालसी क०स०-15 व 18 में आरक्षित वन क्षेत्र में रिक्त पड़े स्थानों पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु रु० 44,14,046.00 मात्र (रु० चवालीस लाख चौदह हजार छियालीस मात्र) की धनराशि एड-हॉक कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।
- 2- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी) रु० 47,30,400 मात्र (रु० सैंतालीस लाख तीस हजार चार सौ मात्र) एड हॉक कैम्पा के खाते में जमा कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है।
- 3- शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त धनराशि जमा की जायेगी।
- 4- क०स०-1 एवं 2 के अनुसार एड-हॉक कैम्पा के खाते में धनराशि आनलाईन जमा कर दी गई है।
- 5- बिन्दु सं० 5 के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना पारेषण लाईन निर्माण की है अतः Strip plantation के स्थान पर पारेषण लाईन के नीचे वन विभाग के निर्देशानुसार बौनी प्रजाति के वृक्षों का रोपण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख रेख में किया जायेगा।

संदर्भित पत्र में वर्णित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अक्षरशः पालन किया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में विधिगत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

(शिशिर श्रीवास्तव)
अधिशाली अभियंता
विद्युत परियोजना खंड, देहरादून

पत्रांक 55/उपाकालि/अधि० अभि०, विद्युत परियोजना खंड (दे०) / EPD- Chakrata

प्रतिलिपि:-

1- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 04/10/19

आपका निष्ठा

अधीनस्थ

आपका निष्ठा

(शिशिर श्रीवास्तव)
अधिशाली अभियंता
विद्युत परियोजना खंड, देहरादून

भूमि हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में एकीकृत विद्युत विकास योजना के अन्तर्गत 33 के0वी0 लाईन का निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र कालसी क0सं0 15 व 18 है क्योंकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र वन विभाग के स्वामित्व में पूर्व से ही है। अतः इस प्रकरण में भूमि हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।


अधिशाली अभियन्ता
विद्युत परियोजना खण्ड
उपाकालि, देहरादून

वृक्षारोपण हेतु प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में एकीकृत विद्युत विकास योजना के अन्तर्गत 33 के0वी0 लाईन का निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना पारेषण निर्माण लाईन की है। अतः Strip Plantation के स्थान पर पारेषण लाईन के नीचे वन विभाग के निर्देशानुसार बौनी प्रजाति के वृक्षों का रोपण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में किया जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता
विद्युत परियोजना खण्ड
उपाकालि, देहरादून

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में एकीकृत विद्युत विकास योजना के अन्तर्गत
33 के0वी0 लाईन का निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


अधिसासी अभियन्ता
विद्युत परियोजना खण्ड
उपाकालि, देहरादून

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

PARIVESH

Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single Window Hub.

Online payment history made by User Agency within 24/7/365

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	W. R. Integrated Power Development Scheme (IDPS) Package - 13 KV (Chakran to Chakran)	TRAMS56385018146	6456385146	24 Jul 2019	CAU: 44404/- Safety Zone: 0/- Bank: 0/- Other Charges: 425000/- Other Charges: 0/- Total: 914044/-	Paid	Fund Demand Verified by: 16 Aug 2019 Field Officer On: Corporation Bank Bank Name: Corporation Bank (Chakran) Mode of Payment: 01 Oct 2019 Challan Generated On: 07 Oct 2019 Transaction Date:	Generated Letter

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
 Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright Policy | Hyperlinking Policy | Accessibility Statement | Disclaimer | Contact Us